

आवेदन का प्रारूप :

प्रपत्र-1

राष्ट्रीय सतत गन्ना विकास योजना हेतु आवेदन

जिला विकासखण्ड

अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन - पत्र

प्रति,

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी

.....

विकास खण्ड.....

द्वारा : उचित माध्यम (द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी
.....)

निवेदन है कि मैं कृषक आत्मज
..... ग्राम विकासखण्ड
..... जिला योजना के अंतर्गत मेरे
स्वामित्व की भूमि..... रकबा..... खसरा क्रमांक में
सतत गन्ना विकास योजना का लाभ लेना चाहता हूँ।

मैं योजना के प्रावधान के अनुसार कृषि विभाग के अधिकारियों की सलाह से कार्य करूंगा
। अतः निवेदन है कि मुझे योजना में प्रस्तावित वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप अनुदान स्वीकृत किया
जावे ।

मैं, यह वचन देता हूँ कि अनुदान राशि का उचित ढंग से उपयोग करूंगा। अनुदान
राशि का अनुचित उपयोग करने की स्थिति में मुझे दी गई अनुदान की समस्त राशि का एक मुश्त
राजस्व की बकाया राशि के रूप में विभाग द्वारा वसूल कर ली जावे ।

गवाह के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर कृषक

संलग्नों की सूची :

खसरा पांचसाला एवं नक्शा

संलग्नों का प्रारूप :

नहीं

प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहाँ सम्पर्क करें : जिला स्तरीय अधिकारी से

उपलब्ध धनराशि का विवरण :

जिला स्तर पर संधारित की जा रही है

(विभिन्न स्तरों पर जैसे की, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इत्यादि)

लाभार्थियों की सूची :

जिला स्तर पर संधारित की जा रही है